क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः– दिनांकः–

Ref.No.: 60657/O.A. No. 448/2024 Date: 03/07/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- **Submission of status report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 448/2024, Sampurna Nand Vs SU Enterprises.**

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 07.05.2024 in the matter of O.A. No. 448/2024, Sampurna Nand Vs SU Enterprises, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

09/07/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No.448/2024 Sampurna Nand vs. M/s SU Enterprises & Ors.

1. As per joint committee report dated 06.07.2023 and dated 06.01.2024, UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024(Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was not received in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra.
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify factual status and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	NO	As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice.The said stone crusher has not obtained valid CTO from UPPCB.
2.	Covering of all conveyor belts.	NO	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	NO	
4.	Wind breaking wall around the premises.	NO	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	NO	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	NO	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	NO	

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-2).
5. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has not received.

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 09.07.2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. H05667/सं-2/NGT No-67/S.C.N./24 दिनांक / Date 12-1-24

सेवा में, पंजीकृत

M/S S.U. ENTERPRISES,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग स्थापना सही नहीं पायी गयी। में स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नही पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वर्तमान में उद्योग को वैध सहमति जल एवं वायु भी प्राप्त नहीं है। बिना समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उद्योग का संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या के दृष्टिगत एवं जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S S.U. ENTERPRISES, SONPUR, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध पूर्व उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्राप्त किया
आशीष कुमार
6394330291 स्वत्वाधिकारी
19-1-24

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
फोन : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure No.2

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0 जी00 91 /OA NO. 521/SC/2024 दिनांक–08.02.2024

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स एस0यू0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट–सोनपुर, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम्, 1981(यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखऊ के संदर्भ संख्या–एच05667 / सी–2 / एन0जी0टी0–67 / एस0सी0एन0 / 24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार, उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थायें स्थापित नहीं हैं। उद्योग को राज्य बोर्ड से बैध सहमति निर्गत नहीं है। समिति द्वारा किये गये निरीक्षण एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये अद्यतन निरीक्षण के समय उद्योग संचालित अवस्था में नहीं पाया गया। चूँकि उद्योग को सहमति प्राप्त नहीं है एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित नहीं है, जिसके बिना उद्योग का संचालन होना सम्भावित है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स–एस0यू0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट–सोनपुर, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक–12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162 उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216
Email-rosonbhadra@uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स एस0यू0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्याः–

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या–HO5667/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी दिनांक–08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त उद्योग ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर में होना सूचित है। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स **25.050491**–अक्षांश एवं **82.98684**–देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित अवस्था में नहीं पाया गया तथा प्लाण्ट/मशीनरी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में ही पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा–प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर नहीं कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा–कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लाथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।
4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पाया गया।

क्रमशः 2/पर....

Scanned with OKEN Scanner

5. उद्योग परिसर में मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया। उद्योग में विण्ड ब्रेकिंग वाल स्थापित नहीं पायी गयी।
6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक–16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।
7. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार, उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5685/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
8. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक–19.10.2022 में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को बोर्ड के संदर्भ सं0–167231/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/ MIRZAPUR/ 2022 दिनांक–19.10.2022 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक–08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
9. उद्योग दिनांक–23.08.2023 को सील किया गया था। अद्यतन निरीक्षण के समय सील सुरक्षित पायी गयी थी। प्लाण्ट एण्ड मशीनरी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पायी गयी। उद्योग को सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। भौतिक तथ्यों से परिलक्षित होता है कि उद्योग कई वर्षो से बन्द है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स एस0यू0 इण्टरप्राइजेज, ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5667/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

08/02/2024

(यू0के0 गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner